

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./अध्ययन स्वीकृति/2015/699 जयपुर,दिनांक:02-06-20

—: आदेश :—

श्री रूपसिंह, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी), पंचायत समिति सेखाला, जिला जोधपुर को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से एम.ए. (राजस्थान साहित्य) प्रथम वर्ष की परीक्षा वर्ष 2020-21 में पत्राचार/स्वयंपाठी के रूप में बैठने/शामिल होने की अनुमति/स्वीकृति राजस्थान सेवा नियम 110 एवं कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग के परिपत्र पं.9(5)(30)कार्मिक/क-3/जॉच/2004 दिनांक 18.11.2006 अनुरूप निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती हैं:-

1. इनका पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. इनको इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है इनको परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से इनको किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और इनका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से ये दैनिक राजकार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
7. अध्ययन वर्ष में इनकी उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सेखाला (जोधपुर) को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार योग्यता अर्जित कर लेने पर नियमानुसार इनकी सेवापुस्तिका में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. श्री रूपसिंह, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत प्रसार अधिकारी), पंचायत समिति सेखाला, जिला जोधपुर।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)